"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ -06/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. पाण्डेय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 27-10-2014 **से दिनांक** 07-11-2014 **तक** कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. **अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः **पदस्थ होंगे.**

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-20/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. टम्टा, भा.व.से. अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ को दिनांक 03-11-2014 से 14-11-2014 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02-11-2014 का पूर्ववर्ती एवं दिनांक 15, 16-11-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. उक्त अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टम्टा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में उक्त अधिकारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टम्टा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-73/2003/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. एस. लकड़ा, महाप्रबंधक-1, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ को दिनांक 20-10-2014 से 31-10-2014 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लकड़ा, महाप्रबंधक-1, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लकड़ा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्रमांक/7446/एफ-05-01/बी.नि./2009/14-2.—छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक 2729/एफ-05-01/बी.नि./2009/14-2 दिनांक 14-06-2012 द्वारा श्री श्याम बैस, अध्यक्ष पद पर छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर में आगामी आदेश पर्यन्त किया गया था. श्री श्याम बैस, अध्यक्ष, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 17-12-2013 को स्वीकार किया गया है.

प्रकरण पर राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का तात्कालिक प्रभार श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद वर्मा, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 01 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तौसीर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.461 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	592	0.385
	594/4	0.048
	596	0.028
योग	3	0.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तौसीर-लेन्ध्रा मार्ग पर निर्माणाधीन किंकारी नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/466/क/भू-अर्जन/वाचक/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.094 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/2	0.054
89/4	0.024
73/2ख	0.004
977	0.129
14/1	0.027
16/2	0.027
107/1	0.071
52	0.065
68/1	0.049
64/2	0.024
23	0.065
59/2	0.020
89/1	0.016
18	0.057
71	0.008
80	0.061
109/3	0.052
02	0.226
22/2	0.028
07	0.040

(1)	(2)
73/2क	0.004
11	0.061
79	0.040
17/1	0.061
26/1	0.028
26/2	0.028
47/2	0.040
45	0.133
91	0.101
19/2	0.027
37/2	0.041
72/2	0.006
30	0.049
88/1	0.016
89/3	0.008
107/2	0.070
109/2	0.051
46/1	0.069
53/1	0.026
68/2	0.012
59/1	0.061
36	0.150
15/4	0.021
20/5	0.026
28	0.081
34/2	0.129
34/3	0.016
34/5	0.057
35	0.239
51/1	0.020
75/1	0.033
20/2	0.101
39	0.089
105	0.024
16/1	0.054
58	0.061
24	0.065
05	0.093
13	0.061
73/1	0.012
15/1	0.020
20/1	0.027
66/1	0.036
62/2	0.036
15/3	0.020
20/4	0.026
63	0.032
106	0.271
60/1	0.040
88/2	0.024
107/3	0.077
64/1	0.036
06	0.101
33	0.040
15/2	0.020
20/3	0.026
08	0.061
103	0.057
89/2	0.049
17/2	0.065
73/3	0.008
61/1	0.041
56	0.041
34/1	0.214
67/1	0.008
29	0.097
57	0.049
47/1	0.057
31	0.121
32	0.040
109/1	0.051
67/2	0.004
12	0.085
04	0.089
76/2	0.028
75/2	0.016
76/1	0.012
21	0.065
34/4	0.113
38	0.049
67/3	0.004
69	0.016
22/1	0.032
66/2	0.037
68/3	0.012
40/1	0.027
41/1	0.012
40/2	0.027
40/3	0.027
50/1	0.022
50/2	0.023
10	0.061
55	0.041
62/1	0.040

	(1)	(2)
	25	0.547
	65	0.239
	70	0.085
	09	0.061
	19/1	0.026
	37/1	0.040
	72/1	0.006
	27	0.077
	46/2	0.069
योग	121	7.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/467/क/भू-अर्जन/वाचक/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-थरहीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	699	0.866
	700	0.578
	701	0.502
	702	0.543
	703	0.494
	704	0.567
	705/1	0.127
	705/2	0.222
	705/3	0.218
	706	0.425
	707	0.486
	708	0.283
	709	0.275
	710	0.247
	711	0.243
	712	0.283
	713	0.202
	714	0.202
	715	0.202
	716	0.324
	717	0.113
	718	0.113
	719	0.113
	720	0.109
	721	0.093
	722	0.089
	723	0.129
योग	27	8.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/468/क/भू-अर्जन/वाचक/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मड़कड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.355 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	68	0.081
	69	0.012
	70	0.421
	71/1	0.073
	71/2	0.073
	72/2	0.101
	74/1	0.016
	74/2	0.016
	75	0.101
	77	0.073
	80	0.069
	81	0.101
	83/1	0.028
	84	0.020
	86	0.170
योग	15	1.355

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/469/क/भू-अर्जन/वाचक/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-पिकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.874 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
71/1	0.040
71/2	0.125
175/1	0.121
71/3	0.045
71/4	0.045
221	0.032
225	0.214
227	0.125
229	0.142
175/3	0.061
219/1	0.020
219/2	0.008
219/4	0.040
223	0.101
219/6	0.041
220/3	0.097
135/2	0.024
137/1	0.009
137/2	0.089
35/1	0.029
141/2	0.010
142/1	0.069
142/2	0.105
142/4	0.057
142/3	0.049
142/5	0.041
168	0.142
175/2	0.057
220/1	0.139
220/2	0.139
224	0.231
38/4	0.170
169/3	0.081
173	0.040
230	0.206
219/3	0.012
228/1	0.071
171/2	0.041
228/2	0.071
39/1	0.005
171/1	0.036
25	0.016
141/3	0.010
35/2	0.028

(1)	(2)
174/2	0.061
170	0.077
169/1	0.061
38/2	0.162
38/3	0.162
39/2	0.013
226	0.073
39/3	0.010
70	0.065
218	0.150
222	0.166
169/2	0.024
40/1, 40/2	0.101
351	0.332
169/5	0.008
38/1	0.178
योग 60	4.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/470/क/भू-अर्जन/वाचक/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-गिधौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/1	0.069
25	0.291
65/1	0.202
19/2	0.040
76/3	0.192
07	0.032
62/2	0.028
20/3	0.049
31	0.065
18/2	0.080
24/2	0.010
61/2	0.028
67/2	0.121
76/2	0.125
77	0.121
405/1, 405/11, 405/12, 405/13	0.303
61/1, 62/1	0.020
63/4	0.028
65/2	0.110
21	0.223
59	0.129
347/2	0.045
348	0.057
368	0.202
55/2	0.101
56	0.109
369/2	0.081
66/2	0.121
47/2	0.040
81/3	0.117
13/1	0.032
57/1	0.109
63/1	0.020
367/1	0.145
76/4	0.494
377/3	0.312
340/2	0.037
369/1	0.081
375/1	0.040
35/2, 40/2	0.020
37, 38, 39	0.081
2/4	0.028
16	0.154
20/1	0.049
20/2	0.049

(1)	(2)
23	0.073
06	0.040
380	0.405
17	0.235
19/1	0.040
362/3	0.028
375/4	0.012
378/4	0.032
13/3	0.028
378/1	0.032
405/5	0.162
405/10	0.336
405/16	0.224
365	0.202
363/3	0.243
18/4	0.040
24/4	0.006
364/2	0.283
377/2	0.158
376/2	0.069
349/2	0.131
405/4	0.177
2/1	0.121
46	0.020
3/1	0.113
18/1	0.080
24/1	0.008
363/1	0.101
30	0.121
63/2	0.040
336	0.113
363/4	0.121
22/2	0.073
362/1	0.028
375/3	0.012
378/2	0.012
362/5	0.121
375/6	0.040
378/6	0.121
362/4	0.028
378/5	0.032
42	0.077
349/1	0.129
364/1	0.291
376/1	0.113
2/2	0.032
405/3	0.283
2/3	0.061
18/5	0.080
24/5	0.008
18/3	0.080
24/3	0.008
18/6	0.077
24/6	0.008
366	0.202
405/18	0.224
18/7	0.040
24/7	0.004
49/2	0.020
81/5	0.040
19/3	0.040
81/4	0.028
55/1	0.101
66/1	0.061
66/3	0.061
379/3	0.101
354/1, 355/1, 356	0.121
13/2	0.032
48/2	0.081
57/2	0.105
63/7	0.020
367/2	0.101
334	0.113
67/1	0.040
63/3	0.012
64	0.073
76/1	0.405
60	202
344, 345	0.121
347/1	0.049
352	0.040
357, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1	1.311
81/6	0.040
36/1, 36/2	0.040
योग 129	14.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), कोरबा छ.ग.

कोरबा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्रमांक/2300.भू.अ./रा.नि./2014.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक 2196/2001/2014/सात-1 नया रायपुर दिनांक 16-6-2014 एवं संचालक भू-अभिलेख छ.ग. रायपुर के पत्र दिनांक 25-08-2014 द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश अनुरूप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रीना बाबा साहेब कंगाले कोरबा एतद्द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा में स्थित राजस्व निरीक्षक मंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का प्रस्तावित करती हूं.

तहसील का नाम	पुराने रा.नि.मं.	नवीन प्रस्तावित रा.नि.मं	सम्मिलित पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	पटवारी हल्का में सम्मिलित ग्राम	नगर पालिक निगम क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा-1	9-कोरबा	कोरबा	नगर पालिक निगम कोरबा
				कोहड़िया (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
			10 ख-रिस्दी	रिस्दी	
			13 ख-रामपुर	रामपुर	
	—,,-	पाढ़ीमार	10-पाढ़ीमार	पाढ़ीमार	
			10क-रुमगरा	रुमगरा	
			10ग-रिस्दा	रिस्दा	
	भैसमा		25क-झगरहा	झगरहा	
	कोरबा	दादरखुर्द	13-दादरखुर्द	दादरखुर्द	
			13क-खरमोरा	खरमोरा	
			13-ग बरबसपुर	बरबसपुर	
			13-घ ढेलवाडीह	ढेलवाडीह	
				भिलाईखुर्द (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				रापाखर्रा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				विश्रामपुर (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
कटघोरा	कटघोरा	गोपालपुर	12 गोपालपुर	गोपालपुर	
			11क-ग्याहीमुड़ी	ग्याहीमुड़ी	
				जेन्जी (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
			12ग-चोरभट्टी	चोरभट्टी	
	—,,-	डुमरमुड़ा	12क-डुमरमुड़ा	डुमरमुड़ा	
			12ख-बरेड़ीमुड़ा	बरेड़ीमुड़ा	
			17ग-कुमगरी	कुमगरी	
	—,,-	बांकी	15-बांकी	बांकी	
			15क-मोगरा	मोगरा	
			15ख-गजरा	गजरा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटघोरा	कटघोरा	घुड़देवा	16-घुड़देवा	घुड़देवा	नगर पालिक निगम कोरबा
			16क-कुचेना	कुचेना	
			16ख-भैरोताल	भैरोताल	
	—,,—	मड़वाडोढ़ा	16ग-मड़वाडोढ़ा	मड़वाडोढ़ा	
			16घ-पुरेना	पुरेना	
			16ङ-रोहिना	रोहिना	
	—,,—	जमनीपाली	17-जमनीपाली	जमनीपाली	
			17क-सेमीपाली	सेमीपाली	
			17ख-सुमेधा	सुमेधा	
	—,,—	अगारखार	18-अगारखार	अगारखार	
			18क-केन्दईखार	केन्दईखार	
			18ख-लाटा	लाटा	
			19-दर्रीखार	दर्रीखार (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				नगोईखार (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				चारपारा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				गेरवा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				टांगामार (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
	—,,—	बलगीखार	18ग-बलगीखार	बलगीखार	
			19क-डगनियाखार	डगनियाखार	
			19ख-सुराकछार	सुराकछार	
			19ग-खम्हरिया	खम्हरिया (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
	दीपका	गेवरा	20-गेवरा	गेवरा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				मनगांव (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				घाटमुड़ा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
			20ग-नरईबोध	नरईबोध	
			20घ-कोसमंदा	कोसमंदा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
	—,,—	दुरपा	20क-दुरपा	दुरपा (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				दुल्लापुर (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
			20ख-बरमपुर	बरमपुर	
				जरहाजेल (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
				बरपाली (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
			21क-चन्द्रनगर	चन्द्रनगर (पूर्ण अर्जित ग्राम)	
योग	04 (आंशिक)	13	43	57	

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/9639/अधीक्षक/2014.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5971/अधीक्षक/2014 कोरबा, दिनांक 05-07-2014 के द्वारा जारी कार्य बंटन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पासपोर्ट शाखा का प्रभारी अधिकारी श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती हीना अनिमेष नेताम, अपर कलेक्टर कोरबा को आगामी आदेश तक पासपोर्ट शाखा का प्रभार सौंपा जाता है,

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रीना बाबा साहेब कंगाले,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th October 2014

No. 1101/Confdl./2014/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Jyoti Agrawal, Member of Lower Judicial Service and presently, posted as Secretary, District Legal Services Authority, Surajpur, she is hereby, premitted to change her name as "Smt. Jyoti Agrawal" in place of "Ku. Jyoti Agrawal" and to incorporate the name of her husband Shri Anup Agrawal in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble Acting Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th October 2014

No. 623/L.G./2014/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 08 days from 11-09-2014 to 18-09-2014 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th October 2014

No. 624/L.G./2014/II-3-19/2008.—Shri N. K. Chandrawanshi, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-09-2014 to 01-10-2014 along with permission to remain out of headquarters from 28-09-2014 till 06-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandrawanshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th October 2014

No. 625/L.G./2014/II-2-19/2006.—Shri R.C.S. Samant, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 13 days from 29-08-2014 to 10-09-2014 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th October 2014

No. 627/L.G./2014/II-3-16/2006.—Shri Anil Kumar Shukla, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 22 days from 10-09-2014 to 01-10-2014 along with permission to remain out of headquarters from 10-09-2014 till 06-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shukla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 233 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th October 2014

No. 628/L.G./2014/II-8-4/2010.—Smt. Rajni Dube, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 04 days from 07-10-2014 to 10-10-2014 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 01-10-2014 till before the office hours of 13-10-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dube, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 93 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2014

क्रमांक 188/दो-2-7/2002.—श्री टी. के. झा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जगदलपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-08-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.